संख्या-344/2022/624रासनि/23-1-2022/002-33आरएसएन/2022टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 13 अक्टूबर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 17 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1696/CE-HQ-1/RSN 3054/ADY/2022-23, दिनांक 29.09.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 17 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 1,96,16,000/- (रूपये एक करोड़ छियानबे लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. बाराबंकी	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत-चौबीसी कमेला दतौली मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी-16,17(400) में विशेष मरम्मत का कार्य।	76/2021/459 रासनि/23-1-21-44 रासनि/20	43.75	39.38	1.75	2.62	2.62
2	प्रा.ख. बाराबंकी	बाराबंकी हैदरगढ़ बछरावां मार्ग (राज्य मार्ग सं0-13) के किमी 97(250) से 113 मे सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	89/2021/394 रासनि/23-1-21-66 रासनि/20	430.33	406.81	2.00	21.52	10.76
3	प्रा.ख. बाराबंकी	सेठमऊ खाले का पुरवा वाया मंशादास कुटी सम्पर्क मार्ग के किमी-1 व 2(800) में विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	46.32	4.63	1.50	40.19	11.99
4	प्रा.ख. बाराबंकी	बाराबंकी-हैदरगढ़-बछरावां मार्ग (एस0एच0-13) के किमी-124 पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आर0सी.सी. बाक्स कलवर्ट का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	40.20	4.02	0.40	35.78	7.84
5	नि.ख.-4 अयोध्या	तिवारी हरिरामपुर मटौली सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का	367/2021/1539 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21	41.20	4.12	0.28	36.8	10.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		कार्य।	टी0सी0					
6	नि.ख.-4 अयोध्या	ईश्वरीशुक्ल (इनयातनगर) बरियारपुर गदुरही (अ0जि0मा0) के विशेष मरम्मत का कार्य।	367/2021/1539 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0	54.83	5.48	3.28	46.07	19.19
7	नि.ख.-4 अयोध्या	ईटगांव घाटमपुर इण्टर कालेज से ईटगांव बाबा बाजार वाया हिसामुद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	367/2021/1539 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0	51.48	5.14	3.42	42.92	13.74
8	नि.ख.-4 अयोध्या	इस्माइल नगर सिहौरा से अरकुना वाया मुबारकगंज चिरैधापुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	97.94	9.79	4.98	83.17	17.14
9	नि.ख.-4 अयोध्या	सलोनिया सुरवारी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	71.71	7.17	1.60	62.94	17.13
10	नि.ख.-4 अयोध्या	रमेशनगर से चिलबिली वाया गोकुला नरेन्द्र भादा (अ0जि0मा0) का विशेष मरम्मत का कार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	75.51	7.55	4.73	63.23	13.21
11	प्रा.ख. अयोध्या	कोरखाना सम्पर्क मार्ग के चैनेज 0.150 से 0.800 एवं 0.900 से 1.25 तक सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण तथा अवशेष भाग में विशेष मरम्मत का कार्य।	38/2020/535 रासनि/23-1-20-43 रासनि/20	116.63	110.8	0.37	5.46	5.46
12	नि.ख. अम्बेडकरनगर	सिंघलपट्टी से कमालपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	44.82	4.48	9.29	31.05	10.34
13	नि.ख. अम्बेडकरनगर	जलालपुर सुरहूरपुः रोड मलूकपुर बड़ागांव से उसरहा रघुनाथपुर परकौली पकलहा होकर मित्तूपुर हड़िया सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	69.45	6.95	16.99	45.51	17.55
14	नि.ख. अम्बेडकरनगर	रफीगंज अमदही सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	86.7	52.02	12.16	22.52	10.15
15	नि.ख. अम्बेडकरनगर	मेदनीपुर ढाखा से घोरहरा से होकर कुर्मीपुर सरैया होते हुए ओदरदरपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	41.57	24.95	6.01	10.61	9.49
16	नि.ख. अम्बेडकरनगर	रफीगंज अमदही (पी.एम.जी.एस.वाई. से हस्तान्तरित) सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	93.83	56.30	13.48	24.05	10.91
17	नि.ख. अम्बेडकरनगर	बी0जे0आर0 से धारूपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	56.34	35.38	12.48	8.48	8.48
							कुल योग-	196.16

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय कुल रू0 1,96,16,000/- (रूपये एक करोड़ छियानबे लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-344/2022/624रासनि(1)/23-1-22/002-33आरएसएन/2022टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।